

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 8340

दिनांक - 18.09.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मोतीराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर।		1 अमराराम 2 जसाराम पिसरान भैराराम 3 देवी पत्नि चिमनाराम 4 पेमाराम पुत्र भैराराम 5 रूपाराम पुत्र चिमनाराम 6 जगदीश कुमार 7 जसाराम पिसरान पुराराम 8 डालूराम पुत्र रामाराम 9 ताजाराम पुत्र जसाराम 10 नेनाराम पुत्र पुराराम 11 पूनमाराम पुत्र मूलाराम 12 पेम्पो पत्नि मूलाराम 13 प्रकाश चौधरी पुत्र जसाराम 14 भगाराम 15 मुकमा पिसरान विरधाराम 16 मेघाराम पुत्र जसाराम 17 मानाराम पुत्र पुराराम 18 रिड़मलराम 19 लुम्माराम पिसरान जसाराम 20 लेहरो पत्नि जसाराम 21 वीरमाराम पुत्र मुलाराम 22 हेमाराम पुत्र विरधाराम 23 सुरताराम पुत्र दुर्गाराम 24 खेताराम पुत्र पेमाराम 25 चैनाराम पुत्र गुमनाराम 26 चूनाराम 27 दमाराम 28 भैराराम पिसरान मोडाराम जातियान जाट निवासी लेगो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 334/2025 दिनांक- 10/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लेगो की ढाणी पटवार हल्का कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 351 रकबा 0.0324 हैक्टयर, खसरा संख्या 352 रकबा 0.0405 हैक्टयर व खसरा संख्या 499/354 रकबा 20.6794 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 8341-44

दिनांक- 18.09.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मोतीराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अमराराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर